पचास रुपये

भारत INDIA

५०रू. FIFTY RUPEES 50RS

किसम वसीका : ट्रस्टनामा

विवरण स्टाम्प

1) स्टाम्प नम्बर व दिनांक 243 / 9.4.2007

2) कितात स्टाम्प 50/1 कुल एक किता

3) नाम स्टाम्प वेन्डर श्री आनन्द शर्मा स्टाम्प वेन्डर, नारनौल।

4) स्टाम्प डयुटी 50/– रूपया

सतर/अलफाज 170 / 1700.

मैं, केहरसिंह पुत्र श्री सोहनलाल पुत्र श्री जीता जाति अहीर निवासी ग्राम डेरोली अहीर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) का हूँ।

वर्तमान समय में मानव समाज के उत्थान के लिए शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना ही मानव समाज की सच्ची सेवा है। इसलिए मैं ऐसी संस्था या संगठन का गठन करना चाहता हूँ, जो स्थाई रुप से वर्तमान एवं भविष्य में मानव समाज की सेवा व सहायता कर सकें। अतः मैं अपनी स्वस्थ इन्द्रियों, स्थित बुद्वि और स्थिर चित की अवस्था में बिना किसी दबाव व आग्रह के अपनी प्रसन्नता से जन सेवा हेतू ट्रस्ट स्थापित करता हूँ और मुबलिग 2100/– रूपया (दो हजार ऐक सो रूपया) ट्रस्ट को समर्पित करता हूँ।

ट्रस्ट का नाम

यह कि ट्रस्ट को **गौरव शिक्षा संस्था एवं धर्मार्थ ट्रस्ट ग्राम आजमनगर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)** के नाम से सम्बोधित किया जाऐगा।

Keher Singh

प्रलेख न: 59

दिनाँक 09/04/2007

डीड सबंधी विवरण	
डीड का नाम	TRUST
तहसील/संब-तहसील	नारनौल
गांव/शहर	डेरोली अहीर

धन सबंधी विवरण	
	स्टाम्प डयूटी की राशि 50.00 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 50.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 2.00 रुपये

Drafted By: Mahender Kumar

यह प्रलेख आज दिनाँक 09/04/2007 दिन सोमवार समय बजे श्री/श्रीमती/कुमारी Kehar Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी Sohan Lal निवासी Deroli Ahir द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री Kehar Singh

उप/सयुंक्त पँजीयन अधिकारी
नारनौल

उपरोक्त न्यासकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी Gorav Siksha Sanstha and Dharmarth Trust Secy RamKala न्यासी हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी Gajender nambardar पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी Narnaul व श्री/श्रीमती/कुमारी Naveen Partap Singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी Shiv Kumar Verma निवासी Dharsu ने की।
साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी न: 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 09/04/2007

उप/सयुंक्त पँजीयन अधिकारी
नारनौल

यह कि ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय ग्राम आजमनगर, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा) में होगा तथा उसकी शाखाएं अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जा सकेगीं।

ट्रस्ट का उद्देश्य

(1) समस्त मानव समाज के विकास एवं सामाजिक कल्याण हेतू सभी कार्य किसी भी धर्म, नस्ल, लिंग एवं आयु के भेदभाव के बिना करना।

(2) शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाऐं खोलना, टेक–ओवर करना, स्थापित करना, उनका संचालन करना, इन्जीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट कालेज, डेन्टल कालेज आदि स्थापित करना तथा उनका संचालन करना।

(3) यह कि मानव समाज के उत्थान के लिए शिक्षा का प्रसार व प्रचार करना, शिक्षा संस्थाएं, पुस्तकालय, वाचनालय इत्यादि खोलना या किसी ऐसी संस्था को सहायता देना।

(4) यह कि मानव समाज के असहाय व्यक्तियों की सहायता करना व निर्धन तथा योग्य छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृति देना।

(5) यह कि निर्धन एवं अपंग एवं अनाथ छात्र–छात्राओं एवं व्यक्तियों की हर प्रकार से यथा योग्य सहायता करना।

(6) यह कि उपरोक्त उद्देश्यों हेतू धन एकत्रित करना एवं उसके व्यय तथा निवेश पर नियंत्रण करना।

(7) यह कि ऐसे कार्य जिनका विवरण उपर नहीं किया गया हो और वह कार्य मानव समाज के कल्याण व शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए उपयोगी एवं लाभप्रद हो तथा उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप है तो उन कार्यो को भी ट्रस्ट के प्रधान की सहमति से किया जा सकेगा।

ट्रस्ट की सम्पति

यह कि उपरोक्त 2100/– रूपया (दो हजार ऐक सो रूपया) का ट्रस्ट पूर्णरूपेण स्वामी होगा। इसके अतिरिक्त चल, अचल सम्पति, नकदी आदि जो भी ट्रस्ट को किसी व्यक्ति, ट्रस्टी, फर्म, संस्था और सरकार द्वारा प्राप्त होगा अथवा ट्रस्ट की आय से खरीदा जाऐगा, वह सम्पति भी ट्रस्ट की होगी।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज

(1) यह कि ट्रस्ट का एक बोर्ड आफ ट्रस्टीज होगा, जिसमें इस ट्रस्ट के वर्तमान ट्रस्टी एवं भविष्य में शामिल होने वाले ट्रस्टीज होगें।

महेन्द्र कुमार ... 1392

(1) केहर सिह पुत्र श्री सोहन लाल पुत्र श्री जीता जाति अहीर निवासी ग्राम डेरोली अहीर, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा).

(2) श्रीमति रामकला धर्मपत्नी श्री केहर सिह पुत्र श्री सोहन लाल जाति अहीर निवासी ग्प्रम डेरोली अहीर, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा).

(3) मोहित कुमार पुत्र केहर सिह पुत्र श्री सोहन लाल जाति अहीर निवासी ग्राम डेरोली अहीर, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा).

(4) सतिस कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह पुत्र श्री झाबर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम आजमनगर, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा).

(5) रामचन्द्र पुत्र श्री रामप्रसाद पुत्र श्री झाबर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम आजमनगर, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा).

पदाधिकारी

(1) प्रधान — श्री केहर सिह पुत्र श्री सोहन लाल पुत्र श्री जीता जाति अहीर निवासी ग्राम डेरोली अहीर, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा).

(2) सचिव — श्रीमति रामकला धर्मपत्नी श्री केहर सिह पुत्र श्री सोहन लाल जाति अहीर निवासी ग्प्रम डेरोली अहीर, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा).

(3) कोषाध्यक्ष — मोहित कुमार पुत्र केहर सिह पुत्र श्री सोहन लाल जाति अहीर निवासी ग्राम डेरोली अहीर, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा).

(4) सदस्य — सतिस कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह पुत्र श्री झाबर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम आजमनगर, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा).

(5) सदस्य — रामचन्द्र पुत्र श्री रामप्रसाद पुत्र श्री झाबर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम आजमनगर, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा).

ट्रस्टीगण की संख्या एवं योग्यता

इस ट्रस्ट के कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 ट्रस्टी होगें। वर्तमान ट्रस्टीगण की नियुक्ति मैने कर दी है। शेष ट्रस्टीगण की नियुक्ति ट्रस्टीगण, बोर्ड आफ ट्रस्टी की मिटिंग में करने के अधिकारी होगें तथा ट्रस्टी की आयु 18 वर्ष कम से कम नहीं होगी तथा ट्रस्टी बनने के लिये ट्रस्ट के प्रधान की सहमति अनिवार्य होगी।

Kehr Singh

बोर्ड आफ ट्रस्टीज की मिटिंग

यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज की मीटिंग समय समय पर हुआ करेगी। जिस पर आवश्यक प्रस्तार पर विचार करके निर्णय होगा और मिन्टस बुक रखी जाएगी। बैठक का कोरम कम से कम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। ट्रस्ट की मीटिंग की अध्यक्षता ट्रस्ट का प्रधान करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में सचिव मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। मीटिंग का संचालन प्रधान द्वारा किया जाऐगा। बोर्ड की मीटिंग से पहले मिटिंग का एजेन्डा जारी किया जाऐगा।
प्रधान को मीटिंग सुचारू रूप से चलाने एवं स्थगित करने का अधिकार होगा। मीटिंग का प्रत्येक निर्णय बहुमत के द्वारा होगा। यदि मत बराबर रहे तो अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य

(1) ट्रस्ट की सामान्य अथवा विशेष बैठक में ट्रस्ट के सभी कार्यक्रमों पर नियन्त्रण रखना होगा।
(2) पदाधिकारिया का बहुमत के द्वारा चयन करना।
(3) वर्षभर का आय व व्यय का ब्योरा लेना एवं पास करना।
(4) भविष्य के कार्यक्रम निश्चित करना।
(5) पदाधिकारियों में से किसी को भी ट्रस्ट के कार्यो के योग्य ना पाए जाने पर उपस्थित ट्रस्टीगण के बहुमत द्वारा उसे पद मुक्त करना और इसी प्रकार किसी भी ट्रस्टी को ट्रस्ट के कार्य के योग्य ना पाए जाने पर उपस्थित ट्रस्टीगण के बहुमत द्वारा उसे हटाने के लिए प्रधान की सहमति अनिवार्य होगी।
(6) ट्रस्टी मनोनित करना। परन्तु इसके लिए ट्रस्ट के प्रधान की सहमति अनिवार्य होगी। अर्थात ट्रस्ट के प्रधान की इच्छा के विरूध किसी को भी ट्रस्टी नहीं बनाया जा सकेगा।
(7) ट्रस्ट के कार्य के लिए बहुमत द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ती करना तथा बहुमत द्वारा किसी भी कर्मचारी को हटाना, मुअतिल करना या कोई भी अनुशासनत्मक कार्यवाही करना।
(8) ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करना।
(9) ट्रस्ट की सम्पति के प्रबन्ध हेतू व ट्रस्ट के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम, उप नियम एवं योजना बनाना तथा उसमें परिवर्तन करना या वापिस लेना।
(10) ट्रस्ट की चल अथवा अचल सम्पति का संचालन करना, उसकी देखभाल करना, सुरक्षा स्थायित्व, वृद्वि हेतू सभी कार्य एवं उपाय करना।
(11) ट्रस्ट की धनराशि एवं आय को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

Kelen Sih

(12) ट्रस्ट के नाम से किसी भी डाकखाना या बैंक या अन्य वितिय संस्था में खाता खोलना तथा उसे प्रधान, सचिव तथा कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के हस्ताक्षर के द्वारा आपरेट करना।

(13) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट के नाम से चल–अचल सम्पति खरीदना।

(14) ट्रस्ट की सम्पति की मरम्मत आदि करना एवं सभी कार्य के टैक्सों की अदायगी एवं अन्य आम खर्चो की अदायगी करना।

पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

प्रधान :

1. ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करना और बैठक की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना।
2. सभी पदाधिकारियों के कार्यो में समन्वय रखना।
3. ट्रस्ट द्वारा किये गये कार्यो पर नियन्त्रण रखना, उसका निरीक्षण करना और ट्रस्टीगण को समय समय पर आवश्यक निर्देश देना।
4. ट्रस्ट के खाते एवं समस्त रिकार्ड देखना।
5. ट्रस्ट की मीटिंग बुलाना और उसे सुचारू रूप से चलाना।
6. किसी भी सदस्य को ट्रस्ट की कार्यवाही भंग करने पर उसे मीटिंग से निलम्बित करना।
7. ट्रस्ट के कार्यभार को चलाने के लिए कर्मचारियां की नियुक्ती करना, हटाना, निलम्बित करना तथा उन्हें छुट्टी देना।
8. ट्रस्ट के नाम से खाता खोलना तथा उसे आपरेट करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन खर्च करना।
10. ट्रस्ट की चल–अचल सम्पति की देखभाल करना।
11. ट्रस्ट की आय व्यय का पूरा ब्यौरा रखना।
12. ट्रस्ट की आर से कानूनी कार्यवाही करना और कानूनी कार्यवाही होने पर बचाव करना।
13. ट्रस्ट के सभी कार्य बहुमत द्वारा किये जायेगें। परन्तु उनके लिए प्रधान की सहमति अनिवार्य होगी। ट्रस्टीगण द्वारा किया गया निर्णय प्रधान की सहमति के बिना मान्य नहीं होगा।

सचिव :

1. बोर्ड के हर प्रकार के रिकार्ड को सुरक्षित रखना। बोर्ड की कार्यवाही को वैधानिक ढंग से लिखना तथा अन्य लिखाई पढाई तथा पत्र व्यवहार आदि प्रकार के कार्य करना।
2. मीटिंग में कार्यकम बनाना एवं ट्रस्ट के सदस्यों को नियमानुसार बैठक की सूचना देना।

Kela Ali

महेन्द्र कुमार

कार्यान्वित करना तथा करवाना।

4. ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यो का निरीक्षण करना।
5. ट्रस्टीगण की सामान्य बैठक में वर्ष भर की कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करना।
6. ट्रस्ट के खाते को ओपरेट करना।

कोषाध्यक्ष :

ट्रस्ट के आय एवं व्यय पर निगरानी रखना तथा ट्रस्ट के खाते को ओपरेट करना। ट्रस्ट के आय व्यय का पूरा–पूरा हिसाब रखना तथा समय पर पेश करना।

पदाधिकारियों एवं ट्रस्टीगण के स्थान निम्नलिखित परिस्थितियों में रिक्त माना जाएगा :–

1. कोई भी पदाधिकारी ट्रस्टी लिखित रूप से स्वेच्छा से त्याग पत्र देवें और उपस्थित सदस्यो के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए।
2. यदि उसे अदालत द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाए या नैतिक, सामाजिक, या चरित्रिक अपराध में दण्ड दिये जाने पर।
3. स्वर्गवास हो जाने पर।
4. यदि वह पागल हो जाए।
5. ट्रस्टीयों द्वारा प्रधान की सहमति से सदस्यता समाप्त करने पर।

यह कि ट्रस्टीयो को अधिकार होगा कि वह अपना 2/3 बहुमत, जिसमें प्रधान की सहमति आवश्यक हे, से अपनी ट्रस्ट की अचल सम्पति बेच सकते है, लेकिन विक्रय धन को डाकखाने या राष्ट्रीकृत बैंक या अन्य वित्तीय संस्था में डलवाना होगा तथा उसे ट्रस्ट के फायदे के लिए खर्च किया जाएगा।

यह कि ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक या डाकखाना या अन्य वित्तीय संस्था में खोला जाएगा, जिसमे प्रधान व सचिव तथा कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के हस्ताक्षर से राशि निकाली जा सकेगी।

यह कि किसी कारणवश भविष्य में यह ट्रस्ट बन्द हो जावे तो उसकी समस्त सम्पति प्रधान ट्रस्ट की सहमति से किसी अन्य ट्रस्ट में ट्रान्सफर की जा सकेगी।

लिहाजा यह ट्रस्टनामा लिख दिया गया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवें। मजमुन सुनाया गया समझाया गया, सही माना। तहरीर तारीख: 09.04.2007

मुकिर संस्थापक ट्रस्ट

केहर सिह पुत्र श्री सोहन लाल पुत्र श्री जीता जाति अहीर निवासी ग्राम डेरोली अहीर, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा),

Kehar Singh

ट्रस्टीगण :–

(1) श्रीमति रामकला धर्मपत्नी श्री केहर सिह पुत्र श्री सोहन लाल जाति अहीर निवासी ग्राम डेरोली अहीर, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा),

रामकला

(2) मोहित कुमार पुत्र केहर सिह पुत्र श्री सोहन लाल जाति अहीर निवासी ग्राम डेरोली अहीर, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा),

Mohit Khopuf

(3) सतिस कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह पुत्र श्री झाबर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम आजमनगर, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा),

Satish Kumar

(4) रामचन्द्र पुत्र श्री रामप्रसाद पुत्र श्री झाबर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम आजमनगर, तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा),

गवाह
गजेन्द्र सिंह नम्बरदार
नारनौल।

गवाह
नवीन प्रताप सिंह पुत्र श्री शिव कुमार वर्मा
निवासी ग्राम धरसूं तहसील नारनौल।

NavinPratap Singh.

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
59	2007-2008	1

न्यासकर्ता

न्यासी

गवाह

न्यासकर्ता

Kehar Singh____________

न्यासी

Gorav Siksha Sanstha and Dharmarth Trust Secy.RamKala____________ Gorav Siksha Sanstha and Dharmarth Trust Cashier Mohit Kumar____________ Gorav Siksha Sanstha and Dharmarth Trust Member Satish Kumar____________ Gorav Siksha Sanstha and Dharmarth Trust Member Ramchander____________

गवाह 1:- Gajender nambardar____________ गवाह 2:- N[illegible] Partap Singh____________

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 59 आज दिनाँक [illegible]9/04/2007 को बही न: 1 जिल्द न: 1 के पृष्ठ न: 16 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 4 के पृष्ठ सख्या 29 से 35 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 09/04/2007

उप/सयुंक्त पँजीयन अधिकारी
[illegible]
नारनौल

THE SUB-REGISTRAR NARNAUL